जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 16.09.2021

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में 03 वारण्टी किये गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद ।

आज दिनांक 16.09 .2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा दबिश के कार्यवाही करते हुए भिन्न-भिन्न स्थानों से 03 वारंटियों को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. सुभाष कश्यप पुत्र विनोद कश्यप निवासी मौहल्ला सूरजकुंड मंदिर के पास थाना कांधला जनपद शामली।
2. नितिन उर्फ अल्लाह पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम इस्लामपुर घसौली थाना कांधला जनपद शामली।
3. चांदपुर पुत्र अशरफ निवासी मौहल्ला नई बस्ती बिजली का रोड थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध चाकू 01 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री विजय कुमार त्यागी थाना कांधला जनपद शामली।

2- उ0नि0 श्री उपेंद्र सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

3- हे0का0 संजीव कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

4- का0 अक्षय कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

5- का0 वासु थाना कांधला जनपद शामली।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चौसाना स्थित बिजली की दुकान में हुए पटाखा धमाके की घटना का 48 घण्टे की अल्प समयावधि में अनावरण कर 02 अभियुक्त किये गिरफ्तार।

दिनांक 14.09.2021 को समय सांय करीब 04:00 बजे कस्बा चौसाना स्थित श्री कंवरपाल शर्मा की युवराज इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली के सामान की दुकान में पटाखे के धमाके जैसी घटना हुई थी। घटना की सूचना पर पहुंची झिंझाना पुलिस द्वारा घटना के सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ था कि कंवरपाल शर्मा की दुकान में लकड़ी के बने बैठने की रैक से पटाखा चलने जैसी आवाज थैले में रखे हुए सामान से हुई थी । दुकान के मालिक द्वारा बताया गया कि कुछ समय पहले एक व्यक्ति बल्ब खरीदने आया था और बल्ब खरीदकर बाजार से सामान खरीदारी करने की बात कहते हुए दुकान पर ही सामान का थैला रखकर गया था। जो वापस सामान का थैला लेने नहीं आया । उसी थैले में रखे डिब्बे में धुआं निकलते हुए पटाखा चलने जैसी आवाज हुई । पटाखे की आवाज से थैले में रखा सामान बिखर गया था। इस घटना में किसी प्रकार की कोई जान-माल सम्बन्धी क्षति नहीं हुई थी, न ही किसी को कोई चोट आई। मौके पर पुलिस अधीक्षक , अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी कैराना एवं प्रभारी निरीक्षक झिंझाना एवं फॉरेंसिक टीम के द्वारा पहुंचकर घटना के संबंध में छानबीन की गई थी । घटना के मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के संबंध में मौजूद अधिकारियों एवं दुकान स्वामी से जानकारी की गई । मौके पर मिले मैटेलिक डिब्बे एवं जले हुए अवशेष को फॉरेंसिक टीम द्वारा एकत्रित कर जांच हेतु फॉरेंसिक लैब भेजा गया। इस घटना के सम्बन्ध में श्री कंवर पाल द्वारा दाखिल की गई तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव द्वारा घटना को गम्भीरता से लेते हुए इसके शीघ्र अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी कैराना के नेतृत्व में टीमें लगाई गई। टीमों द्वारा आसपास से की गई जानकारी एवं सीसीटीवी फुटेज से दुकान में बम रखने वाले व्यक्ति की पहचान की गई एवं निरन्तर प्रयास कर कार्यवाही करते हुए घटना का 48 घण्टे की अल्प समयावधि में अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तार अभियुक्तों के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष 02 अभियुक्त हैदर व दाऊद इमाम फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस की टीमें अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीकाः- गिरफ्तार अभियुक्तों से पुलिस द्वारा की गयी पूछताछ में जानकारी हुई है कि गिरफ्तार अभियुक्तगण मोनीश, तैमूर तथा फरार अभियुक्त दाऊद इमाम व हैदर आपस में मिलने जुलने वाले है कुछ दिन पूर्व कस्बा चौसाना के इलेक्ट्रिकल सामान की दुकान करने वाले कंवरपाल शर्मा से कुछ विवाद हो गया था जिसको लेकर सभी ने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी दुकान पर मोनीश के द्वारा एक हल्की क्षमता का आवाजी बम बनाकर खरीदारी करने के बहाने रखवा दिया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मोनीश उर्फ बबलू पुत्र इरफान निवासी नाई नगला नवीन थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.तैमूर पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी बल्ला माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>नाम व पता फरार अभियुक्तः-</u>

1.दाऊद इमाम पुत्र तहसीन निवासी नाई नगला नवीन थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.हैदर पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी बल्ला माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1- उ0नि0 श्री समयपाल सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2- हे0का0 रामअवतार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3- का0 अनुज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

4- का0 राममोहर तेजा थाना झिंझाना जनपद शामली।

5- का0 राहुल थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से अवैध कच्ची/अपमिश्रित शराब एवं अवैध हथियार बरामद ।

आज दिनांक 16.09.2021 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त मोबीन पुत्र यामीन निवासी चाँद मस्जिद के पास मौहल्ला खेलकला थाना कैराना थाना कोतवाली शामली जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जिसके कब्जे से 08 लीटर कच्ची/अपमिश्रित शराब एवं अवैध चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तः-

1-मु0अ0सं0 195/17 धारा 147,149,323,506 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

2-मु0अ0सं0 1078/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली जनपद शामली।

3-मु0अ0सं0 16/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जनपद शामली।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद ।

आज दिनांक 16.09.2021 को थाना कांधला पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण 1. सलमान पुत्र जाहिद निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना कांधला जनपद शामली 2. वसीम पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला नई बस्ती थाना कांधला जनपद शामली 3. साबिर पुत्र हनीफ निवासी नई बस्ती थाना कांधला जनपद शामली को 03 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध देशी शराब बरामद ।

आज दिनांक 16.09.2021 को थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नवीन पुत्र महिपाल निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना कांधला जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है , जिसके कब्जे से 48 पव्वे हरियाणा मार्का देशी शराब बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।